16/5/2020 पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त
की ओर से जवाब पेश
अतिक्रमण हेतु स्वीकार
किया गया। पत्रावली
वास्ते आदेश हेतु दिनांक 18/5/2020
को पेश हो।

18/5/2020 पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त
का अतिक्रमण काटकर/हटाकर
स्वीकार करके ...
1576 की धारा ... [illegible]

	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मौखिक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] के 26 [illegible] [illegible] के [illegible] प्रतिवेदन किया जाता है। [illegible] निर्णय [illegible] [illegible] न्यायालय से [illegible] पत्रावली बाद निर्णय की [illegible] दाखिल हो। [signature] 18/10/20	

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायलय तहसीलदार औसियां जिला जोधपुर

दिनांकः– 2/9/2020

कमांक / राजस्व / कोर्ट / 2020 / 530

प्रार्थी

सरकार जरिये भू.अ.नि. ताप्र

पटवारी किंजरी

अप्रार्थी / अप्रार्थीगण

श्री दलपतसिंह, कुम्भसिंह, पप्पुसिंह, जबरसिंह, भानुसिंह पि. हमीरसिंह, सवाईसिंह, फतेहसिंह पि. रतनसिंह, भैरूसिंह

पुत्र श्री पि. ...

जाति राजपूत

निवासी बरसालु खुर्द

मुकदमा नंबर 8 2/9/2020

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम –1956 की धारा 91

:– निर्णयः–

पटवारी हल्का किंजरी ने इस आशय से रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है किया है कि अप्रार्थी / अप्रार्थीगण में राजस्व गांव बरसालु के खसरा नं. 100 रकबा 0.10 किस्म गै. मु. रास्ता राजकीय भूमि पर फसल बोकर / बाडा बनाकर / निर्माण करके बिना वैध अधिकार स्वेच्छा से तथा बिना सक्षम अनुमति के अवैध अतिकमण किया है। इस पर उक्त प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा के अन्तर्गत दर्ज रजिस्ट्रर करके धारा 91 (3) के अन्तर्गत अप्रार्थी / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस की विधिवत तामील के पश्चात भी अप्रार्थी अनुपस्थित है अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ली जाती है /अप्रार्थी उपस्थित हुआ, अप्रार्थी को सुना गया । राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है। तथा अतिचार करने के फलस्वरूप भू–राजस्व / लगान 0.30 प्रति वर्ष का 50 गुणा कुल रूपये 15 अक्षरे रूपये पन्द्रह मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है एवं कुर्कसुदा फसल नीलाम कर नीलामी फर्द स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को लिखा जावे। पटवारी / भू0अ0नि0 अतिकमी को अतिकमी को अतिकमण स्थान से बेदखल करके बेदखली फर्द तथा जुर्माना वसूल करके पालना 7 दिवस में पेश करें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का किंजरी को आदेशित किया जाता है कि मांग दर्ज कर वसूल करें। बाद पालना के पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/9/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार औसियां

कार्यालय तहसीलदार औसियां जिला जोधपुर

क्रमांक / राजस्व / 2020 / 531 दिनांकः– 25/9/2020

प्रेषितः– भू.अ.नि. तापू ।

हल्का पटवारी तिंवरी ।

विषयः– माफिक निर्णय की पालना किए जाने बाबत।

प्रसंगः– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम –1956 की धारा 91 के मु.न. 8 / 2/9/2020 सरकार बनाम अप्रार्थीगण दलपतसिंह, सुमेरसिंह, पप्पुसिंह, वगैरह संबंध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायलय के मु. न. 8 / 2/9/2020 की प्रति भेजकर लेख है कि किसी उच्चतर न्यायलय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में पुनः इस कार्यालय को भिजवाए । निर्णय की पालना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे।

तहसीलदार ओसियां।

क्रमांकः–सम / 202 / दिनांक

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ओसियां
2. थानाधिकारी.......................................को भेजकर लेख है कि संबंधित भू.अ.नि. व हल्का पटवारी द्वारा शांति व्यवस्था बाबत पुलिस इमदाद चाहने पर जाब्ता उपलब्ध करावे।
3. संबंधित ग्राम विकास अधिकारी..............................को भेजकर लेख है कि भू.अ.नि. व हल्का पटवारी आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध करावे।
4. तहसील राजस्व लेखा शाखा को वास्ते मांग दर्ज।
5. रक्षित पत्रावली।

तहसीलदार ओसियां।